पत्रांक–भवन / बजट–18–अनुरक्षण / मरम्मति–05 / 2020–21........

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर कर्णांकित राशि के विरूद्ध आवंटित राशि का व्यय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में गैर न्यायिक भवनों (आवासीय एवं गैर आवासीय) के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर विभागीय पत्रांक–4158 दिनांक–22.05.23 द्वारा वार्षिक राशि कर्णांकित किया गया है। कर्णांकित राशि के विरूद्ध प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की राशि सभी प्रमंडलों को आवंटित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि कई प्रमंडलों द्वारा प्रथम किस्त का राशि भी अबतक व्यय नहीं किया गया है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त के रूप में आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार यथाशीघ्र किया जाय अन्यथा विलंब की स्थिति में राशि वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही तृतीय किस्त की राशि भी आवंटित नहीं की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/–

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी (पटना को छोड़कर), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 10,000 (अ)　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः– 8/12/23

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/12

सरकार के संयुक्त सचिव।